

संख्या 1291-92 /एसआईडीसी/1-A/Policy Valtt (Temp) दिनांक 26-7-17

-: कार्यालय आदेश:-

निगम के निदेशक मण्डल द्वारा निगम के औद्योगिक क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित किये जाने हेतु भूखण्डों के आवंटन/हस्तान्तरण/किरायेदारी हेतु एक समग्र नीति निदेशक मण्डल की 286वीं बैठक में अनुमोदित की जा चुकी है और इस सम्वन्ध में कार्यालय आदेश संख्या 1834-37/एसआईडीसी-आईए-पालिसी वाल्यूम-16 (Temp) दिनांक 14.01.15 निर्गत किया गया है।

उक्त के सम्वन्ध में स्पष्ट करना है कि कार्यालय आदेश के बिन्दु संख्या 1.2 के बिन्दु संख्या-1 में नियोजन की दृष्टि से प्राविधानित किये गये ग्रीन बेल्ट में मोबाइल टावर स्थापित किये जाने का आवेदन प्राप्त होने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक उपरोक्त कार्यालय आदेश के अनुसार अपने स्तर से भूमि का ऑकलन कर ग्रीन बेल्ट/पार्क में टावर लगाने हेतु अनुमति देने से पूर्व कुल कितना क्षेत्रफल ग्रीन बेल्ट/पार्क से आच्छादित है एवं कितना क्षेत्रफल टावर हेतु है, इसकी सूचना मुख्यालय प्रेषित कर मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी आदेशित किया जाता है कि मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भूमि आवंटन/हस्तान्तरण/किरायेदारी के लिये भूमि की प्रीमियम दर प्रश्नगत औद्योगिक क्षेत्र/सेक्टर में लागू/देय व्यवसायिक आरक्षित दर के बराबर होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रणवीर प्रसाद)  
प्रबन्ध निदेशक

संख्या /एसआईडीसी-

दि 0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि० (औ०क्ष०), मुख्यालय, कानपुर

(रणवीर प्रसाद)  
प्रबन्ध निदेशक